राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 175/2023

डॉ. गणेश सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2023
आदेश की दिनांक : 12.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 23.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। तब से अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्य कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सामान्य चिकित्सालय, करौली में व्यवस्था की दृष्टि से मेडिकल ज्यूरिष्ठ का कार्य संपादन करने के लिए लगाया गया। अपीलार्थी के स्थान पर दूसरे कार्मिक को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी को मेडिकल ज्यूरिष्ठ का कार्य संपादन करने के लिए आदेशित किया गया जो नियमों के विपरीत है। यह आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किए जारी किया गया है। परिपत्र दिनांक 27.11.2006 के अनुसार जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत अपीलार्थी को मेडिकल ज्यूरिष्ठ कार्य दिया गया है जबकि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्यरत है क्योंकि मेडिकल ज्यूरिष्ठ का कार्य कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ विशेषज्ञ आदि करते हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राज्य सरकार के सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप निदेशक के पद पर सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी एक सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य